

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:-डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:- 547/2025

श्री दिनेश कुमार यादव, निवासी भाकरियों की ढाणी, बसावा, नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

--

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

--

आदेश

दिनांक 12.01.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 547/2025 पर दिनांक 18.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/5408-5409 दिनांक 18.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/6 दिनांक 09.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री दिनेश कुमार यादव, निवासी भाकरियों की ढाणी, बसावा, नवलगढ, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू०अ०/2025/02 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नवलगढ को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/6 दिनांक 09.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री दिनेश कुमार यादव, निवासी भाकरियों की ढाणी, बसावा, नवलगढ, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू०अ०/2025/02 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नवलगढ को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया है। चूंकि प्रार्थी का आवेदन पत्र अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित को अन्तरित किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं